भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2410

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2014/3 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत गुप्त कार्यविधियां

2410. श्री रत्न लाल कटारिया :
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सीएसआर नियमों/दिशा-निर्देशों के बावजूद कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के निर्वहन पर उनके लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने से बचने के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई जा रहीं गुप्त कार्यविधियों पर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही कार्यविधियों के प्रकार क्या है और ऐसी कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों द्वारा विद्यमान नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (च) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान हाल ही में अर्थात् 01.04.2014 से लागू हुए हैं। इसलिए, सामान्यत: कंपनियां सीएसआर को लागू करने जैसे, सीएसआर समितियों के गठन और इन समितियों द्वारा उनसे संबंधित सीएसआर नीतियां बनाने तथा बोर्ड द्वारा उनके अनुमोदन के प्रारंभिक चरण में हैं। इस चरण में, इस सांविधिक दायित्व से बचने के लिए किसी कंपनी द्वारा दांव पेचों का सहारा लेने के संबंध में कोई मत बनाना समयपूर्व होगा। इसी प्रकार, कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर कंपनियों द्वारा किए गए व्यय और कमियां जैसे मुद्दों, यदि

कोई हो तो, का समाधान भी एक वर्ष के पश्चात् किया जा सकता है, जब कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सांविधिक विवरणियां उपलब्ध होंगी।

कंपनी अधिनियम में परिकल्पित मुख्य निगरानी तंत्र सांविधिक लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं जिसके लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) 'मार्ग निर्देश नोट' तैयार कर रहा है ताकि लेखापरीक्षक इस विषय की पर्याप्त जांच कर सकें।

*****